कृषि विज्ञान केन्द्र
(गो0 ब0 पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय)
धनौरी–हरिद्वार

पत्रांकः केवीके/धनौरी/85

दिनांकः 14 सितम्बर, 2020

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द, धनौरी–हरिद्वार के प्रक्षेत्र पर खरीफ–2019 में उत्पादित धान मात्रा 29.89 कुंतल (अनुमानित) को दिनांक 6 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत विक्रय किया जाना है। नीलामी के सम्बंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्य दिवस में कर्यालय समय प्रातः 10:00 बजे से सांय 5:00 तक प्रभारी अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी तथा निदेशक प्रसार शिक्षा, पंतनगर से प्राप्त की जा सकती है।

क्रमांक	विक्रय की जानी वाली फसल का नाम व प्रजाति	अनुमानित उत्पाद की मात्रा (कुंतल)
1.	धान	
	I. पूसा बासंमती 1637	9.60
	II. पूसा बासमती 1728	4.96
	III. पूसा बासमती 1718	12.56
	IV. पूसा 1609	2.77
	कुल मात्रा (कुंतल)	**29.89**

नीलामी की शर्तेः

1. नीलामी में प्रतिभागी (बोलीदाता) को धरोहर राशि के रूप में रू0 5,000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) नगद जमा करना होगा। अधिकतम बोलीदाता को समिति की स्वीकृति के उपरांत कुल मूल्य का 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि के रूप में तुरन्त जमा करना अनिवार्य होगा तथा उठान से पूर्व सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। अधिकतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं द्वारा जमा की गयी रू0 5,000.00 (रू0 पांच हजार मात्र) की धरोहर राशि उसी समय वापस कर दी जाएगी।
2. एक सप्ताह के अंदर क्रेता द्वारा माल न उठाने पर उनके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।
3. उचित मूल्य न मिलने की दशा में समिति को नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. नीलाम किए जाने वाले धान की मात्रा अनुमानित है तथा यह घट बढ़ सकती है। सफल बोलीदाता को किसी भी प्रकार का वारदाना व श्रमिक केन्द्र द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जायेंगे।
5. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलाम की जाने वाली सामग्री की बिक्री को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने पर पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति जी एकमात्र मध्यस्थ होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों (क्रेता एवं विक्रेता) को मान्य होगा।
7. इस नीलामी के सम्बंध में किसी भी विवाद की सुनावाई का क्षेत्राधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय ऊधम सिंह नगर होगा।
8. उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में नीलामी रद्द समझी जायेगी।

प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. समस्त निकटवर्ती ग्रामों के ग्रामसभाओं के सूचनापट्ट पर चस्पा हेतु।
2. प्रभारी, विश्वविद्यालय बेवसाईट को बेवसाईट पर विज्ञापित हेतु।